

(Authoritative English Text of this Department Notification No. LCD-A(1)-2/2003 dated 7-9-2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Department of Language Art and Culture

No. LCD-A(1)-2/2003 Dated: Shimla-171002, the 7-9- 2011.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules, for the post of Superintendent, Grade-II (Class-II, Non-Gazetted) in the Department of Language Art and Culture, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:-

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| Short title and Commencement | 1 | (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Language, Art and Culture, Superintendent, Grade-II (Class-II, Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2011. |
| | | (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh. |
| Repeal and Savings | 2 | (1) The Himachal Pradesh, Language Art and Culture Department, Superintendent, Grade-II,-Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, notified vide notification No. LCD-A(3)69/99 dated 10-01-2001 are hereby repealed. |
| | | (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken the relevant rules so repealed under sub rule 2(1) supra, shall be deemed to have been validity made, done or taken under these rules. |

By Order

Manisha Nanda
Principal Secretary (LAC) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. LCD-A(1)-2/2003 Dated Shimla-171002, 07-09- 2011.
Copy forwarded to:-

1. All Administrative Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh.
2. Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2, with reference to letter No. 1-2/88-PSC-Part dated 5-1-2011.
3. Director, LAC, Himachal Pradesh.
4. The Controller, P&S, Himachal Pradesh for favour of Publication in the Rajpatra.
5. Finance Department (Pay-Revision), H.P. Sectt. Shimla-2.
6. ALR-cum-Deputy Secretary (Law), H.P. Sectt, Shimla-2.
7. 100 spare copies.

Deputy Secretary (LAC) to the
Government of Himachal Pradesh.

Annexure-“A”

Recruitment and Promotion Rules for the Post of Superintendent, Grade-II (Class-II, Non-Gazetted) in the Department of Language, Art & Culture, H.P.

1	Name of the Post:	Superintendent, Grade-II
2.	Number of Post	2 (Two)
3.	Classification	Class-II (Non-Gazetted) Ministerial Services
4.	Scale of Pay	Rs. 10300-34800+4200 Grade Pay
5.	Whether selection post or Non selection post	Non-Selection
6.	Age for direct recruitment	Not Applicable.
7	Minimum Educational and other Qualifications required for direct recruits:	Not Applicable.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees;	Age: Not applicable Educational Qualifications: Not applicable
9.	Period of Probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be record in writing.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.	100% by promotion failing which on secondment basis.
11	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/ transfer is to be made	By promotion from amongst the Sr. Assistants who posses 6 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which by secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay

scale of this post from other H.P. Government Departments :

A(1). Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at-least one term in Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less services, left for superannuation:

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/difficult areas shall be transferred to such areas strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I : For the purpose of proviso I supra the term in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-II : For the purpose of proviso I supra the term in Tribal/Difficult areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba Division.
3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of Distt. Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal area of Baijnath Sub-Division of Kangra District.
7. Distt. Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil Bhaladh Bhalona and

Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmour District.

9. Khanyoi-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil Gada Gussani, Mathyani, Ghanyar, Thachi Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil Chinul, Kalipur, Mangarh, Thach-Bagra, Northe Magru and South Magru patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

B(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotions Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:

The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of Seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc Service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules :

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking

		into account adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition?	As may be constituted by Government from time to time.
13	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.	As required under the Law.
14	Essential requirement for a direct recruitment	N.A.
15	Selection for appointment post by direct recruitment.	N.A.
16	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled casts/Scheduled Tribes/ Other Backward classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental examination	Not applicable
18	Power to relax	Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with H.P.P.S.C. relax any of the provisions of these rules with respect to any class of category of person(s) or post(s).

हिमाचल प्रदेश सरकार
भाषा कला एवं संस्कृति विभाग

संख्या: एल0सी0डी0-ए (1)-2/2003 तारीख शिमला-2, 07.09.2011

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में अधीक्षक, ग्रेड- II, (वर्ग-II,अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-‘क’ के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, अधीक्षक, ग्रेड- II (वर्ग-II,अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति, नियम, 2011 है ।
- (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- निरसन और व्यावृत्तियां । 2 (1) अधिसूचना संख्या: एल0सी0डी0-ए(3) 69/99 तारीख 10 जनवरी, 2001 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, अधीक्षक, ग्रेड- II, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2000 का एतद द्वारा निरसन किया जाता है ।
- (2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उपनियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,

मनीषा नंदा
प्रधान सचिव (भाषा,कला एवं संस्कृति)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृ० संख्या:एल०सी०डी०-ए(१)-३/२००३ तारीख शिमला-२, ०७.०९. २०११.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
२. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-२ को उनके पत्र सं०:१-२/८८-पीएससी-पार्ट दिनांक ५-१-२०११ के सन्दर्भ में ।
३. निदेशक, (भाषा-संस्कृति) हिमाचल प्रदेश, शिमला-९
४. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि० प्र० शिमला-५ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश(असाधारण) में प्रकाशित करने हेतु ।
५. वित्त विभाग (वित्त विनिमय) हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-२.
६. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
७. १०० अतिरिक्त प्रतियां/संरक्षण नस्ति ।

उप सचिव (भाषा-संस्कृति)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपाबन्ध- 'क'

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश में अधीक्षक, ग्रेड- II (वर्ग-II, अराजपत्रित) पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम :

1	पद का नाम :	अधीक्षक, ग्रेड-II
2	पदों की संख्या :	2 (दो)
3	वर्गीकरण:	वर्ग -II (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं
4	वेतनमान:	₹ 10300-34800+4200 ग्रेड पे
5	चयन पद अथवा अचयन:	अचयन।
6	सीधी भर्ती के लिए आयु :	लागू नहीं ।
7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :	लागू नहीं ।
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं :	आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं ।
9	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।
10	भर्ती की पद्धति- भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता :	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर, सैकेण्डमेंट आधार पर ।
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा:	वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका 6 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 6 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से समरूप वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैकेण्डमेंट आधार पर । क(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्याधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष हो :

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण-I :- उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण-II :- उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल ।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश दरकाली और ग्राम पंचायत काशापट ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र ।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमराउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील के कोटा पाब पटवार वृत्त ।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्चोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गौसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा,कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड आकर भरेड़ पटवार वृत्त, थुनांग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच - बगड़ा,

उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और जिला मण्डी की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।

ख(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय सभी कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की जिनपर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उसमें उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण :

अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वकैसिज इन हिमाचल स्टेन नॉन टेक्निकल सर्विसिज) रूलज 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्ससर्विस मैन (रिजर्वेशन ऑफवकैसिज इन

		<p>हिमाचल स्टेन नॉन टेक्निकल सर्विसिज)रुलज, 1985 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो वह इसके अन्तर्गत वरीयता का लाभ दिया गया हो ।</p> <p>(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी यदि संभरक पद पर तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, सम्बन्धित पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार चयन की उचित प्रक्रिया अपनाकर की गई हो :</p> <p>परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।</p>
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, उसकी संरचना	जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा:	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षा :	लागू नहीं ।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	लागू नहीं ।
16	आरक्षण :	उक्त सेवा में नियुक्त हिमाचल सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुचित जनजातियों /पिछड़े वर्गों और प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17	विभागीय परीक्षा :	लागू नहीं ।
18	शिथिल करने की शक्ति :	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह करणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।